पंजीकरण संख्या–यू०ए०/डी०ओ०/डी०डी०एन०/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–19] रुड़की, शनिवार, दिनांक 04 अगस्त, 2018 ई० (श्रावण 13, 1940 शक सम्वत्) [संख्या–31

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा रु०
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	429–441	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	521–526	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	87–89	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	163	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

सिंचाई अनुभाग–2

अधिसूचना

विविध

11 मई, 2018 ई0

संख्या 828/II(2)–2018–06(65)/2016–श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 07, वर्ष 2013) की धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जनपद हरिद्वार में गंगा नदी, हरिद्वार से लक्सर तक 50 किमी0 रीच हेतु पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या 381/II–2017–06(65)/2016, दिनांक 28.02.2017 में संलग्न अनुसूची–01 एवं 02 में वर्णित क्षेत्रों में निम्नवत् कार्य सम्पादित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं; अर्थात्–

क्र0 सं0	क्षेत्र	अनुमन्य कार्यों का विवरण
1.	प्रतिषिद्ध क्षेत्र	तटबन्ध/बाढ़ प्रबन्धन, खनन, वृक्षारोपण, कृषि, स्नान घाट निर्माण, नदी तटीय विकास, सिंचाई, पेयजल योजना, जलक्रीड़ा, जल परिवहन, सेतु आदि से सम्बन्धित निर्माण कार्य।
2.	निर्बन्धित क्षेत्र	पार्क, खेल का मैदान, मत्स्य पालन, कृषि आदि गतिविधियाँ, समय–समय पर होने वाले धार्मिक मेलों हेतु अस्थाई निर्माण इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होंगे कि उक्त गतिविधियों द्वारा उत्सर्जित होने वाला जल–मल व ठोस अपशिष्ट का पूर्णतः समुचित प्रबन्धन सुनिश्चित करते हुए, उक्त का परीक्षण उत्तराखण्ड पेयजल निगम से कराया जायेगा, इस क्षेत्र में पूर्व से विद्यमान निर्माण, जो जीर्ण–शीर्ण अवस्था में हैं, की विद्यमान भू–आच्छादन 35 प्रतिशत, तल क्षेत्र अनुपात 1:5 व भवन की अधिकतम ऊँचाई 7.50 मी0 अथवा दो मंजिल की सीमा तक पुनर्निर्माण इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होगा कि क्षेत्र में सीवरेज व्यवस्था उपलब्ध हो। निर्माण अनुमन्य होने की स्थिति में High Flood Level से भवन का न्यूनतम Plinth Level 1.00 मीटर होगा एवं क्षेत्र की सीवरेज व्यवस्था का समुचित प्रबन्धन सुनिश्चित करने के साथ–साथ उत्तराखण्ड पेयजल निगम से परीक्षण/अनापत्ति प्रमाण–पत्र लिया जाना आवश्यक होगा।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the 'Constitution of India', The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No. 828/II(2)/2018-06(65)/2016**, dated May 11, 2018 for general information.

NOTIFICATION

Miscellaneous

May 11, 2018

No. 828/II(2)/2018-06(65)/2016--In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 12 of the Uttarakhand Flood Plain Zoning Act, 2012 (Uttarakhand Act No. 07 of 2013) the Governor is pleased to accord sanction of following work execution in these area with declaration flood plain zoning to the mentioned area

annexed schedule 01 and 02 of the previous notification no. 381/II-2017-06(65)/2016, dated 28.02.2017 for reach up to 50 Km from Haridwar to Laksar in river Ganga of District Haridwar, namely:--

S. No.	Area	Details of Permissible Works
1.	Prohibited Area	Construction/Activities regarding embankment/flood Management, Mining, Plantation, Agriculture, Bathing Ghats, River Front development, Irrigation, Drinking water scheme, Water sports, Water transportation and Bridge etc.
2.	Restricted Area	Construction/Activities regarding Park, Sports Field, Fisheries, Agriculture etc. and the temporary construction required for religious fairs from time to time shall be permissible after getting N.O.C. from Uttarakhand Peyjal Nigam that there are appropriate management for disposal of sewerage and solid waste created by the said activities in this area. The reconstruction of existing unsafe structure shall be admissible up to limitation of existing land covering 35% floor area ratio 1:5 and up to maximum height 7.50 meter or double storey building with the restriction that the sewerage system is available in the area. In case of admissibility of construction, minimum plinth level of the building from High Flood Level (H.F.L.) shall be kept 1.0 M high and the examination/N.O.C. certificate shall be required necessary from the Uttarakhand Peyjal Nigam for ensuring that there are appropriate provision of Sewerage treatment.

अधिसूचना

विविध

11 मई, 2018 ई0

संख्या 829/II(2)–2018/06(66)/2016–श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 07, वर्ष 2013) धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जनपद उत्तरकाशी के भागीरथी नदी में तहसील भटवाड़ी के ग्राम गंगोरी से बड़ेथी चुंगी तक 10 किमी0 रीच हेतु पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या 382/II–2017–06(66)/2016, दिनांक 28.02.2017 में संलग्न अनुसूची–01 एवं 02 में वर्णित क्षेत्रों को बाढ़ मैदान क्षेत्र घोषित करते हुए, इन क्षेत्रों में निम्नवत् कार्य सम्पादित करने की सहर्ष स्वीकृति में प्रदान करते हैं; अर्थात्–

क्र0 सं0	क्षेत्र	अनुमन्य कार्यों का विवरण
1.	प्रतिषिद्ध क्षेत्र	तटबन्ध/बाढ़ प्रबन्धन, खनन, वृक्षारोपण, कृषि, स्नान घाट निर्माण, नदी तटीय विकास, सिंचाई, पेयजल योजना, जलक्रीड़ा, जल परिवहन, सेतु आदि से सम्बन्धित निर्माण कार्य।
2.	निर्बन्धित क्षेत्र	पार्क, खेल का मैदान, मत्स्य पालन, कृषि आदि गतिविधियाँ, समय–समय पर होने वाले धार्मिक मेलों हेतु अस्थाई निर्माण इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होंगे कि उक्त गतिविधियों द्वारा उत्सर्जित होने वाला जल–मल व ठोस अपशिष्ट का पूर्णतः समुचित प्रबन्धन सुनिश्चित करते हुए, उक्त का परीक्षण उत्तराखण्ड पेयजल निगम से कराया जायेगा, इस क्षेत्र में पूर्व से विद्यमान निर्माण, जो जीर्ण–शीर्ण अवस्था में हैं, की विद्यमान भू–आच्छादन 35 प्रतिशत, तल क्षेत्र अनुपात 1:5 व भवन की अधिकतम ऊँचाई 7.50 मी0 अथवा दो मंजिल की सीमा तक पुनर्निर्माण इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होगा कि क्षेत्र में

सीवरेज व्यवस्था उपलब्ध हो। निर्माण अनुमन्य होने की स्थिति में High Flood Level से भवन का न्यूनतम Plinth Level 1.00 मीटर होगा एवं क्षेत्र की सीवरेज व्यवस्था का समुचित प्रबन्धन सुनिश्चित करने के साथ–साथ उत्तराखण्ड पेयजल निगम से परीक्षण/अनापत्ति प्रमाण–पत्र लिया जाना आवश्यक होगा।

आज्ञा से,

आनन्द बर्द्धन,

प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the 'Constitution of India', The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No. 829/II(2)/2018-06(66)/2016**, dated May 11, 2018 for general information.

NOTIFICATION

Miscellaneous

May 11, 2018

No. 829/II(2)/2018-06(66)/2016---In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 12 of the Uttarakhand Flood Plain Zoning Act, 2012 (Uttarakhand Act No. 07 of 2013) the Governor is pleased to accord sanction of following work execution in these area with declaration flood plain zoning to the mentioned area annexed schedule 01 and 02 of the previous notification no. 382/II-2017-06(66)/2016, dated 28.02.2017 for reach up to 10 Km from Gangori to Badethi Chungi in river Bhagirathi of District Uttarkashi, namely:--

S. No.	Area	Details of Permissible Works
1.	Prohibited Area	Construction/Activities regarding embankment/flood Management, Mining, Plantation, Agriculture, Bathing Ghats, River Front development, Irrigation, Drinking water scheme, Water sports, Water transportation and Bridge etc.
2.	Restricted Area	Construction/Activities regarding Park, Sports Field, Fisheries, Agriculture etc. and the temporary construction required for religious fairs from time to time shall be permissible after getting N.O.C. from Uttarakhand Peyjal Nigam that there are appropriate management for disposal of sewerage and solid waste created by the said activities in this area. The reconstruction of existing unsafe structure shall be admissible up to limitation of existing land covering 35% floor area ratio 1:5 and up to maximum height 7.50 meter or double storey building with the restriction that the sewerage system is available in the area. In case of admissibility of construction, minimum plinth level of the building from High Flood Level (H.F.L.) shall be kept 1.0 M high and the examination/N.O.C. certificate shall be required necessary from the Uttarakhand Peyjal Nigam for ensuring that there are appropriate provision of Sewerage treatment.

By Order,

ANAND BARDHAN,

Principal Secretary.

सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग–4

प्रोन्नति / विज्ञप्ति

17 जुलाई, 2018 ई0

संख्या 871/XXXI(4)/18/06(विविध)/2015–उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा के अन्तर्गत नियुक्त निम्नलिखित अपर निजी सचिवों, वेतनमान ₹ 47,600–1,51,100, पे मैट्रिक्स लेवल–8, को विभागीय चयन समिति की संस्तुति पर नियमित चयनोपरान्त निजी सचिव के रिक्त पदों पर, वेतनमान ₹ 56,100–1,77,500, पे मैट्रिक्स लेवल–10 में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. श्री जितेन्द्र कुमार पाण्डेय
2. श्री नयनदीप
3. श्री गणेश नौटियाल
4. श्री अजय कुमार कौशल
5. श्री सपना नेगी
6. श्री मनोज जोशी
7. श्री गौरव प्रसाद सेमवाल
8. श्री हरीश कुमार (ज्येष्ठता क्रमांक–123)
9. श्री सुरेश कुमार
10. श्रीमती हेमा नेगी
11. श्री नासिर हुसैन
12. श्री तारकेश्वर यादव
13. श्री नृपेन्द्र त्रिपाठी
14. श्री इन्द्र प्रताप सिंह
15. श्री अरूण कुमार पटेल
16. श्री कपिल कुमार चौहान
17. श्री टिकराज सिंह
18. श्री विकास कुमार
19. श्री रामकृष्ण प्रजापति
20. श्री गोविन्द सिंह
21. श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी

22. श्री योगराज सिंह

23. श्री रामगोपाल सिंह

24. श्री प्रभाशंकर

25. श्री नरेश कुमार (ज्येष्ठता क्रमांक–140)

2. उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप संबंधित निजी सचिवों को उक्त पद पर 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है।

3. उक्त पदोन्नत कार्मिक वर्तमान तैनाती के स्थान पर तैनात रहेंगे तथा अपने वर्तमान तैनाती के स्थान पर ही कार्यभार ग्रहण करते हुए, सचिवालय प्रशासन (अधि0), अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन को कार्यभार ग्रहण करने की सूचना उपलब्ध करायेंगे।

4. संबंधित कार्मिकों की उपरोक्तानुसार पदोन्नति श्री लाल सिंह नागरकोटी, निजी सचिव (तदर्थ), उत्तराखण्ड सचिवालय के प्रकरण में मा0 सक्षम न्यायालय में विचाराधीन वाद में मा0 सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किए जाने वाले अन्तिमं निर्णय के अधीन रहेंगी।

5. उपरोक्त कार्मिकों की पदोन्नति अस्थाई हैं। भारत सरकार द्वारा राज्य परामर्शीय समिति की संस्तुतियों के अनुसार यदि उ0प्र0 सचिवालय के अन्य कर्मी उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित होते हैं अथवा किसी कार्मिक के विरूद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो तद्क्रम में वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति में इन आदेशों को तत्क्रम में निर्धारित होने वाली वरिष्ठता के आधार पर यथावश्यक परिवर्तित/प्रत्यावर्तित/परमार्जित किया जायेगा।

आज्ञा से,

हरबंस सिंह चुघ,

सचिव।

कार्यभार प्रमाणक

17 जुलाई, 2018 ई0

संख्या 209/नि0स0/2018 देहरादून–सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन के प0सं0–871/XXXI(4)/18/06(विविध)/2015, दिनांक 17 जुलाई, 2018 के क्रम में, जैसा कि इसमें व्यक्त किया गया है, अधोहस्ताक्षरी द्वारा निजी सचिव के पद पर पदोन्नत वेतनमान ₹ 56,100–1,77,500 (लेवल–10) में आज दिनांक 17 जुलाई, 2018 के पूर्वान्ह में कार्यभार ग्रहण किया गया।

अवमोचक अधिकारी,

विकास कुमार

प्रतिहस्ताक्षरित

विनय शंकर पाण्डेय,

अपर सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड

विज्ञप्ति

31 जुलाई, 2018 ई0

संख्या 3289 / एसटीए / दस–82 / 2018–उत्तराखण्ड शासन, परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या–619 / IX / 166 / 2005, दिनांक 17.01.2005 के अधीन प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा बैठक दिनांक 31.07.2018 के संकल्प संख्या–05 में प्राधिकरण द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार यात्री किराया एवं माल भाड़े की दरों से सम्बन्धित विज्ञप्ति संख्या 4448 / एसटीए / दस–1 / 2013, दिनांक 23.09.2013 (जो वर्तमान में लागू है), को अधिक्रमित करते हुए, मंजिली गाड़ियों, ठेका गाड़ियों का यात्री किराया एवं माल वाहनों के भाड़े की दरें निम्न प्रकार से निर्धारित की गई हैं:–

1. मंजिली गाड़ियों के लिए किराये की दरें

(एक) नगर निगम या नगरपालिका क्षेत्र के बाहर चलाई जाने वाली मंजिली गाड़ियों के सम्बन्ध में अधिकतम यात्री किराया की दरें:–

(1) साधारण सेवा :

(क) मैदानी मार्ग हेतु — 86.00 पैसे प्रति कि0मी0 प्रति यात्री

(ख) पर्वतीय मार्ग हेतु — 109.00 पैसे प्रति कि0मी0 प्रति यात्री

(2) रिजर्व पार्टी परमिट :

(क) मैदानी मार्ग हेतु — 98.00 पैसे प्रति कि0मी0 प्रति यात्री

(ख) पर्वतीय मार्ग हेतु — 138.00 पैसे प्रति कि0मी0 प्रति यात्री

(3) एक्सप्रेस सेवा — उपरोक्त दर का 1.10 गुणा

(4) सेमीडीलक्स सेवा — उपरोक्त दर का 1.25 गुणा

(5) डीलक्स सेवा — उपरोक्त दर का 1.70 गुणा

(6) वातानुकूलित सेवा — उपरोक्त दर का 1.90 गुणा

(दो) केवल नगर निगम या नगरपालिका की क्षेत्रीय सीमा के भीतर 30 कि0मी0 से अनधिक यात्रा की दूरी तक चलाई जाने वाली साधारण मंजिली गाड़ियों के सम्बन्ध में अधिकतम यात्री किराया की दरें:–

क्र0 सं0	निर्धारित स्लैब	
	स्लैब	दर (₹)
1	2	3
1.	प्रथम 02 किमी0 तक	5.00
2.	02 से अधिक किन्तु 04 किमी0 तक	7.00
3.	04 से अधिक किन्तु 06 किमी0 तक	10.00

1	2	3
4.	06 से अधिक किन्तु 08 किमी० तक	12.00
5.	08 से अधिक किन्तु 10 किमी० तक	14.00
6.	10 से अधिक किन्तु 12 किमी० तक	16.00
7.	12 से अधिक किन्तु 14 किमी० तक	18.00
8.	14 से अधिक किन्तु 16 किमी० तक	20.00
9.	16 से अधिक किन्तु 18 किमी० तक	22.00
10.	18 से अधिक किन्तु 20 किमी० तक	24.00
11.	20 से अधिक किन्तु 22 किमी० तक	26.00
12.	22 से अधिक किन्तु 24 किमी० तक	28.00
13.	24 से अधिक किन्तु 26 किमी० तक	30.00
14.	26 से अधिक किन्तु 28 किमी० तक	32.00
15.	28 से अधिक किन्तु 30 किमी० तक	34.00
16.	30 से अधिक किमी० के लिए	36.00

स्पष्टीकरण :–

1. यह दरें इस शर्त के अधीन रहते हुए अधिकतम होंगी कि वयस्क यात्रियों से 02 किलोमीटर की दूरी तक प्रभार्य न्यूनतम यात्री किराया ₹ 5.00 होगा और अव्यस्क यात्रियों के मामले में ₹ 2.00 होगा।
2. संगणित यात्री किराए की राशि ₹ 1.00 के गुणक में निर्धारित की जाएगी और 50 पैसे या कम की राशि को छोड़ दिया जाएगा तथा 50 पैसे से अधिक की राशि को ₹ 1.00 तक पूर्णांकित किया जाएगा।

उदाहरणार्थ :–

₹ 1.01 से ₹ 1.50= ₹ 1.00

₹ 1.51 से ₹ 1.99= ₹ 2.00

3. यात्री किराए की संगणना करने के प्रयोजन के लिए आधे किलोमीटर (0.5 कि०मी०) से कम का भाग यात्री के पक्ष में छोड़ दिया जाएगा तथा आधा कि०मी० से अधिक का भाग एक कि०मी० (1.00 कि०मी०) तक पूर्णांकित किया जाएगा।
4. किराए के अलावा उत्तराखण्ड मोटर कराधान सुधार अधिनियम, 2003 के प्राविधानों के अधीन देय मोटरयान कर अथवा विशेष कर अथवा ग्रीन सैस की वसूली यात्रियों से नहीं की जाएगी।
5. मंजिली गाड़ियों के स्वामियों द्वारा किसी किराया शुल्क या उगाही, जो यथास्थिति, किसी स्थानीय प्राधिकारी या लोक निर्माण विभाग द्वारा उत्तराखण्ड में मंजिली गाड़ियों पर लगाई गई हो, के कारण अतिरिक्त किराया भी यात्रियों से वसूल किया जा सकेगा।
6. एक्सप्रेस सेवा से ऐसी सेवा अभिप्रेत है, जो ऐसे मार्ग पर संचालित हो, जिसकी लम्बाई 200 कि०मी० से कम न हो और जो केवल जिला एवं तहसील मुख्यालय पर रूकती हो और निम्नलिखित विनिर्दिष्टियों के अनुरूप हो:–

(क) प्रत्येक यात्री सीट:–

(1) प्रत्येक सीट के सामने की ओर रेखा के साथ–साथ और समकोण बनाती हुई कम से कम 40×38.5 सेंटीमीटर माप की होनी चाहिए।

(2) कुशन 09 सेंटीमीटर मोटी होनी चाहिए।

(3) 2.5 सेंटीमीटर मोटे कुशन की 56 सेंटीमीटर ऊँची बैक रेस्ट वाली, जिसमें 40/15.24×23 सेंटीमीटर सिरहाना होना चाहिए और जिस पर टेरीकॉट रैक्सीन के कवर हों।

(ख) बैठने की व्यवस्थाः—

सीटों का अभिन्यास इस प्रकार होना चाहिए कि एक ओर तीन सीटें और दूसरी ओर दो सींटें इस प्रकार लगी हों कि सभी सीटों का मुख सामने की ओर हो तथा दो सीटों के पार्श्व के मध्य कम से कम 66.2 सेंटीमीटर दूरी के साथ–साथ पैर रखने के लिए 28 सेंटीमीटर स्थान की व्यवस्था हो।

(ग) खिड़कियाँः—

केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 100 में दी गई विनिर्दिष्टियों के अनुरूप 113 सेंटीमीटर चौड़ी हो, जिसमें सुरक्षा शीशे लगें हुए हों।

(घ) चालक केबिनः—

चालक का केबिन आधा विभाजित होना चाहिए।

(ङ) श्रवण प्रणाली और आन्तरिक प्रतिदीप्तिशील ट्यूब प्रकाश की सुविधाएँ होनी चाहिए।

7. सेमी डीलक्स सेवा से कोई ऐसी एक्सप्रेस सेवा अभिप्रेत है, जिसमेंः—

(क) प्रत्येक यात्री सीटः—

(1) प्रत्येक सीट के सामने की ओर रेखा के साथ–साथ और समकोण बनाती हुई कम से कम 40×40 सेंटीमीटर माप की होनी चाहिए।

(2) कुशन 09 सेंटीमीटर मोटी होनी चाहिए।

(3) 05 सेंटीमीटर मोटे फोम के कुशन की रैक्सिन कवर के साथ 61 सेंटीमीटर ऊँची बैक रेस्ट वाली, जिसमें 40/17.78×26.67 सेंटीमीटर सिरहाना होना चाहिए।

(ख) बैठने की व्यवस्थाः—

सीटों का अभिन्यास इस प्रकार होना चाहिए कि एक ओर तीन सीटें और दूसरी ओर दो सींटें इस प्रकार लगी हों कि सभी सीटों का मुख सामने की ओर हो तथा दो सीटों के पार्श्व के मध्य कम से कम 71.2 सेंटीमीटर दूरी के साथ–साथ पैर रखने के लिए 30 सेंटीमीटर स्थान की व्यवस्था हो।

(ग) खिड़कियाँः—

केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 100 में दी गई विनिर्दिष्टियों के अनुरूप 142.5 सेंटीमीटर चौड़ी हो, जिसमें सुरक्षा शीशे लगें हुए हों।

(घ) चालक केबिनः—

चालक का केबिन आधा विभाजित होना चाहिए।

(ङ) श्रवण प्रणाली और आन्तरिक प्रतिदीप्तिशील ट्यूब प्रकाश की सुविधाएँ होनी चाहिए।

8. डीलक्स सेवा से कोई ऐसी एक्सप्रेस सेवा अभिप्रेत है, जिसमेंः—

(क) प्रत्येक यात्री सीटः—

(1) प्रत्येक सीट के सामने की ओर रेखा के साथ–साथ और समकोण बनाती हुई कम से कम 45.8×48.8 सेंटीमीटर माप की होनी चाहिए।

(2) कुशन 10 सेंटीमीटर मोटी होनी चाहिए।

(3) 05 सेंटीमीटर मोटे फोम के कुशन की रैक्सिन या टैपेस्ट्री कवर के साथ 71.2 सेंटीमीटर ऊँची बैक रेस्ट वाली, जिसमें 40/17.78×26.67 सेंटीमीटर सिरहाना होना चाहिए।

(ख) बैठने की व्यवस्थाः—

सीटों का अभिन्यास इस प्रकार होना चाहिए कि एक ओर तीन सीटें और दूसरी ओर दो सींटें इस प्रकार लगी हों कि सभी सीटों का मुख सामने की ओर हो तथा दो सीटों के पार्श्व के मध्य कम से कम 71.2 सेंटीमीटर दूरी के साथ–साथ पैर रखने के लिए 38 सेंटीमीटर स्थान की व्यवस्था हो।

(ग) खिड़कियाँ:–

केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 100 में दी गई विनिर्दिष्टियों के अनुरूप 142.5 सेंटीमीटर चौड़ी हो, जिसमें सुरक्षा शीशे लगें हुए हों।

(घ) चालक केबिन:–

चालक का केबिन आधा विभाजित होना चाहिए।

(ङ) वीडियो प्रणाली और आन्तरिक प्रतिदीप्तिशील ट्यूब प्रकाश की सुविधाएँ होनी चाहिए।

9. पर्वतीय मार्गों का तात्पर्य, पिथौरागढ़, चम्पावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, रूद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी और टिहरी गढ़वाल जिले, देहरादून जिले की चकराता तहसील, नैनीताल, चम्पावत और पौड़ी गढ़वाल जिलों के उन भागों, जो पूर्व में टनकपुर से होकर पश्चिम में काठगोदाम, रामनगर, कोटद्वार से लक्षमणझूला तक तलहटी के आधार पर उत्तर की ओर पड़ता है और देहरादून शहर की नगरपालिका सीमा से आगे मंसूरी की ओर की सभी सड़कों से है।

2. ठेका गाड़ियों के लिए किराये की दरें

(एक) ऑटोरिक्शा:–

(1)	किराए की दरें		प्रत्येक कि0मी0 या उसके भाग के लिए ₹ 23.00 तथा उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त कि0मी0 हेतु ₹ 10.00
(2)	रात्रि किराया		उपरोक्त दर का 25 प्रतिशत अधिक (रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 05:00 बजे तक)

(दो) टैम्पो:–

(1)	किराए की दरें		₹ 09.00 प्रत्येक कि0मी0 या उसके भाग हेतु

(तीन) टैक्सी कैब:–

(1)	किराए की दरें, साधारण सेवा		₹ 13.00 प्रत्येक कि0मी0 या उसके भाग के लिए
	वातानुकूलित सेवा		उपरोक्त दर का 50 प्रतिशत अधिक
(2)	प्रतीक्षा भाड़ा		प्रथम 08 घण्टे तक ₹ 179.00 तथा उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त घण्टे या उसके भाग के लिए ₹ 10.00

(चार) मैक्सी कैब:–

(1)	किराए की दरें, मैदानी मार्ग हेतु		₹ 20.00 प्रत्येक कि0मी0 या उसके भाग के लिए
	पर्वतीय मार्ग हेतु		₹ 21.00 प्रत्येक कि0मी0 या उसके भाग के लिए
(2)	प्रतीक्षा भाड़ा		प्रथम 08 घण्टे तक ₹ 274.00 तथा उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त घण्टे या उसके भाग के लिए ₹ 20.00

(पाँच) ठेका बस:–

क्र0 सं0	वाहन का प्रकार		मैदानी मार्गों हेतु (प्रत्येक कि0मी0 या उसके भाग के लिए)		पर्वतीय मार्गों हेतु (प्रत्येक कि0मी0 या उसके भाग के लिए)
1	2		3		4
(1)	चालक को छोड़कर 13 से अधिक किन्तु 20 से कम सीट वाली वाहनों के लिए		₹ 22.00		₹ 28.00

1	2		3		4
(2)	चालक को छोड़कर 20 से अधिक किन्तु 42 से कम सीट वाली वाहनों के लिए		₹ 33.00		₹ 39.00
(3)	चालक को छोड़कर 42 या उससे अधिक सीट वाली वाहनों के लिए		₹ 39.00		₹ 39.00
(4)	डीलक्स सेवा		₹ 47.00		₹ 48.00
(5)	वातानुकूलित सेवा		₹ 55.00		₹ 57.00
(6)	प्रतीक्षा भाड़ा		प्रथम 08 घण्टे तक ₹ 538.00 तथा उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त घण्टे या उसके भाग के लिए ₹ 36.00		प्रथम 08 घण्टे तक ₹ 538.00 तथा उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त घण्टे या उसके भाग के लिए ₹ 36.00

स्पष्टीकरण :–

1. ऑटो रिक्शा का तात्पर्य तीन पहिये वाली ऐसी गाड़ी से है, जिसमें चालक को छोड़कर 03 से अनधिक सीटें हों।
2. टैम्पों का तात्पर्य, तीन पहिये वाली गाड़ी से है, जिसमें चालक को छोड़कर 03 से अधिक परन्तु 06 से अनधिक सीटें हों।
3. टैक्सी कैब का तात्पर्य, चार पहिये वाली ऐसी गाड़ी से है, जो भाड़े या पारिश्रमिक पर संचालित होती है और जिसमें चालक को छोड़कर 06 से अनधिक सीटें हों।
4. मैक्सी कैब का तात्पर्य, चार पहिये वाली ऐसी गाड़ी से है, जो भाड़े या पारिश्रमिक पर संचालित होती है और जिसमें चालक को छोड़कर 06 से अधिक परन्तु 12 से अनधिक सीटें हों।
5. ठेका बस के सम्बन्ध में एक घण्टे का समय वाहन में चढ़ने तथा उतरने के लिए दिया जाएगा और उसे प्रतीक्षा की अवधि में नहीं जोड़ा जाएगा।
6. संगणित यात्री किराए की राशि ₹ 1.00 के गुणक में निर्धारित की जाएगी और 50 पैसे या कम की राशि को छोड़ दिया जाएगा तथा 50 पैसे से अधिक की राशि को ₹ 1.00 तक पूर्णांकित किया जाएगा।

उदाहरणार्थ :–

₹ 1.01 से ₹ 1.50= ₹ 1.00

₹ 1.51 से ₹ 1.99= ₹ 2.00

7. यात्री किराए की संगणना करने के प्रयोजन के लिए आधे किलोमीटर (0.5 कि0मी0) से कम का भाग यात्री के पक्ष में छोड़ दिया जाएगा तथा आधा कि0मी0 से अधिक का भाग एक कि0मी0 (1.00 कि0मी0) तक पूर्णांकित किया जाएगा।
8. औसत दैनिक भाड़े की गणना के प्रयोजनार्थ दिनों की संख्या की गणना करने के लिए 24 घण्टे का दिन माना जाएगा और किसी दिन का 08 घण्टे से कम का भाग छोड़ दिया जाएगा।
9. किराए के अलावा उत्तराखण्ड मोटर कराधान सुधार अधिनियम, 2003 के प्राविधानों के अधीन देय मोटरयान कर अथवा विशेष कर अथवा ग्रीन सैस की वसूली यात्रियों से नहीं की जाएगी।
10. वातानकूलित सेवा से कोई ऐसी एक्सप्रेस सेवा अभिप्रेत है, जिसमें:–

    (क) प्रत्येक यात्री सीट:–

    (1) प्रत्येक सीट के सामने की ओर रेखा के साथ–साथ और समकोण बनाती हुई कम से कम 45.8×48.8 सेंटीमीटर माप की होनी चाहिए।

    (2) कुशन 10 सेंटीमीटर मोटी होनी चाहिए।

    (3) 05 सेंटीमीटर मोटे फोम के कुशन की रैक्सिन या टैपेस्ट्री कवर के साथ 71.2 सेंटीमीटर ऊँची बैक रेस्ट वाली, जिसमें 40/17.78×26.67 सेंटीमीटर सिरहाना होना चाहिए।

(ख) बैठने की व्यवस्थाः—

सीटों का अभिन्यास इस प्रकार होना चाहिए कि एक ओर दो अथवा तीन सीटें और दूसरी ओर दो सीटें इस प्रकार लगी हों कि सभी सीटों का मुख सामने की ओर हो तथा दो सीटों के पार्श्व के मध्य कम से कम 71.2 सेंटीमीटर दूरी के साथ–साथ पैर रखने के लिए 38 सेंटीमीटर स्थान की व्यवस्था हो।

(ग) खिड़कियाँः—

केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 100 में दी गई विनिर्दिष्टियों के अनुरूप 142.5 सेंटीमीटर चौड़ी हो, जिसमें सुरक्षा शीशे लगें हुए हों।

(घ) चालक केबिनः—

चालक का केबिन आधा विभाजित होना चाहिए।

(ङ) वीडियो प्रणाली और आन्तरिक प्रतिदीप्तिशील ट्यूब प्रकाश एवं वातानुकूलन की सुविधाएँ होनी चाहिए।

11. पर्वतीय मार्गों का तात्पर्य, पिथौरागढ़, चम्पावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, रूद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी और टिहरी गढ़वाल जिले, देहरादून जिले की चकराता तहसील, नैनीताल, चम्पावत और पौड़ी गढ़वाल जिलों के उन भागों, जो पूर्व में टनकपुर से होकर पश्चिम में काठगोदाम, रामनगर, कोटद्वार से लक्ष्मणझूला तक तलहटी के आधार पर उत्तर की ओर पड़ता है और देहरादून शहर की नगरपालिका सीमा से आगे मंसूरी की ओर की सभी सड़कों से है।

3. माल वाहनों के लिए किराये की दरें

(एक) अधिकतम भाड़े की दरः—

(1) मैदानी मार्ग हेतु	29.00 पैसा प्रति कुन्तल प्रति कि0मी0
(2) पर्वतीय मार्ग हेतु	44.00 पैसा प्रति कुन्तल प्रति कि0मी0

(दो) रोक लेने का प्रभार (डिटेन्शन चार्ज) :

प्रतिदिन 08 घण्टे के लिए	हल्के मोटरयान के लिए ₹ 166.00
	अन्य मोटरयान के लिए ₹ 248.00

स्पष्टीकरण :—

1. संगणित यात्री किराए की राशि ₹ 1.00 के गुणक में निर्धारित की जाएगी और 50 पैसे या कम की राशि को छोड़ दिया जाएगा तथा 50 पैसे से अधिक की राशि को ₹ 1.00 तक पूर्णांकित किया जाएगा।

उदाहरणार्थ :—

₹ 1.01 से ₹ 1.50= ₹ 1.00

₹ 1.51 से ₹ 1.99= ₹ 2.00

2. यात्री किराए की संगणना करने के प्रयोजन के लिए आधे किलोमीटर (0.5 कि0मी0) से कम का भाग यात्री के पक्ष में छोड़ दिया जाएगा तथा आधा कि0मी0 से अधिक का भाग एक कि0मी0 (1.00 कि0मी0) तक पूर्णांकित किया जाएगा।

3. किराए के अलावा उत्तराखण्ड मोटर कराधान सुधार अधिनियम, 2003 के प्राविधानों के अधीन देय मोटरयान कर अथवा विशेष कर अथवा ग्रीन सैस की वसूली यात्रियों से नहीं की जाएगी।

4. यदि रोक लेने का समय मिलाकर हल्के मोटरयान की प्रतिदिन का औसत आय ₹ 345.00 एवं अन्य मोटरयान की प्रतिदिन की औसत आय ₹ 690.00 हो तो रोक लेने का प्रभार वसूल नहीं किया जाएगा।

5. पर्वतीय मार्गों का तात्पर्य पिथौरागढ़, चम्पावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, रूद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी और टिहरी गढ़वाल जिले, देहरादून जिले की चकराता तहसील, नैनीताल, चम्पावत और पौड़ी गढ़वाल जिलों के उन भागों, जो पूर्व में टनकपुर से होकर पश्चिम में काठगोदाम, रामनगर, कोटद्वार से लक्ष्मणझूला तक तलहटी के आधार पर उत्तर की ओर पड़ता है और देहरादून शहर की नगरपालिका सीमा से आगे मंसूरी की ओर की सभी सड़कों से है।

सुनीता सिंह,
सचिव,
राज्य परिवहन प्राधिकरण,
उत्तराखण्ड।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 31 हिन्दी गजट/433–भाग 1–2018 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 04 अगस्त, 2018 ई0 (श्रावण 13, 1940 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

June 13, 2018

No. 202/XIV-a/51/Admin.A/2015--Ms. Manju Devi, Civil Judge (Jr. Div.), Chamoli is hereby sanctioned earned leave for 10 days *w.e.f.* 08.05.2018 to 17.05.2018.

NOTIFICATION

June 13, 2018

No. 203/UHC/XIV/17/Admin.A/2008--Sri Shivakant Dwivedi, 2nd Additional District Judge, Rishikesh, District Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 44 days *w.e.f.* 17.04.2018 to 30.05.2018.

NOTIFICATION

June 15, 2018

No. 205/UHC/XIV-a/34/Admin.A/2015--Ms. Afiya Mateen, Civil Judge (Jr. Div.), Champawat is hereby sanctioned child care leave for 30 days *w.e.f.* 07.05.2018 to 05.06.2018 with permission to prefix 06.05.2018 as Sunday holiday, in terms of Office Memorandum No. 11/XXVII(7)34/2011, dated 30.05.2011, issued by Government of Uttarakhand.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,
Sd/-
Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

June 15, 2018

No. 206/UHC/57/Admin.A/2003--Sri Ajay Chaudhary, Registrar (Judicial), High Court of Uttarakhand is hereby sanctioned earned leave for 14 days *w.e.f.* 18.05.2018 to 31.05.2018.

By Order of Hon'ble the Chief Justice

Sd/-

Registrar General.

NOTIFICATION

June 22, 2018

No. 207/XIV-a-19/Admin.A/2009--Smt. Jyoti Bala, the then 2nd Additional Civil Judge (Sr. Div.), Hardwar, presently posted as Additional Judge, Family Court, Roorkee, District Hardwar is hereby sanctioned earned leave for 19 days *w.e.f.* 03.04.2018 to 21.04.2018 with permission to suffix 22.04.2018 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

June 22, 2018

No. 208/UHC/XIV-a/43/Admin.A/2012--Ms. Tricha Rawat, Civil Judge (Jr. Div.), Narendra Nagar, District Tehri Garhwal is hereby sanctioned medical leave for 63 days *w.e.f.* 31.03.2018 to 01.06.2018.

NOTIFICATION

June 27, 2018

No. 209/UHC/XIV-a/37/Admin.A/2016--Ms. Soniya, Civil Judge (Jr. Div.), Tehri Garhwal is hereby sanctioned medical leave for 31 days *w.e.f.* 14.05.2018 to 13.06.2018.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

कार्यालय जिलाधिकारी, हरिद्वार

प्रारम्भिक अधिसूचना

17 जुलाई, 2018 ई०

संख्या 521/8–वि०भू०अ०अ० (2018–19)–जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए हरिद्वार–लक्सर रेलवे लाइन दोहरीकरण परियोजना के अन्तर्गत ग्राम बहादरपुर जट एवं ग्राम सराय परगना ज्वालापुर, तहसील हरिद्वार, जिला हरिद्वार की कुल 0.8632 हे० भूमि अपेक्षित है, उक्त दोनों ग्रामों में अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन रिपोर्ट सम्बन्धित उप जिलाधिकारी, हरिद्वार की अध्यक्षता में

गठित समिति द्वारा तैयार कर, अपने पत्र संख्या 475/एस0टी0—उ0जि0ह0—2018, दिनांक 12.07.2018 को प्रस्तुत कर दी गई है। सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट की प्रति कार्यालय में उपलब्ध है। सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट/प्रारम्भिक जाँच का सार इस प्रकार है:—

हरिद्वार—लक्सर रेलवे लाइन दोहरीकरण के अन्तर्गत इक्कड़ रेलवे स्टेशन पर प्रस्तावित एक अतिरिक्त लाइन एवं एक अतिरिक्त यात्री प्लेटफार्म का निर्माण प्रस्तावित है। इसलिए भूमि अधिग्रहण हेतु न्यूनतम क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। जिसके फलस्वरूप यह परियोजना पूर्णरूप से सामाजिक तथा पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है। इस परियोजना हेतु अधिग्रहित भूमि से कोई भी परिवार भूमिहीन नहीं हो रहा है और न ही किसी परिवार का विस्थापन किया जाना है।

हरिद्वार—लक्सर रेलवे लाइन दोहरीकरण परियोजना परिवहन सुविधाओं के विकास की दृष्टि से भविष्य में आवागमन का एक और अच्छा विकल्प साबित होगा, क्योंकि धर्मनगरी हरिद्वार में प्रत्येक 12 वर्ष में लगने वाला महाकुम्भ मेला व प्रत्येक 06 वर्ष में लगने वाला अर्धकुम्भ मेले में जहाँ एक ओर सड़कों में भारी जाम से आवागमन बाधित होता है, वही दूसरी ओर आवश्यक मूलभूत वस्तुओं की आपूर्ति बाधित हो जाती है। रेलवे लाइन दोहरीकरण से समय की भी बचत होगी, क्योंकि एकल रेलवे लाइन होने से दूसरी ओर से आ रही गाड़ियों को पास देने हेतु स्टेशन पर रोक लिया जाता है, जिस कारण यात्रा पूरी करने में अधिक समय लगता है। हरिद्वार, उत्तराखण्ड में प्रवेश का मुख्य द्वार होने के साथ—साथ यह एक औद्योगिक नगरी भी है। जहाँ हजारों की संख्या में उद्योग भी है। अतः इस दोहरीकरण से सामाजिक विकास के साथ—साथ औद्योगिक विकास भी और अधिक होगा।

सामाजिक समाघात मूल्यांकन के अन्तर्गत समाज के विभिन्न पहलुओं पर पड़ने वाले प्रभावों को भी प्रभावित परिवारों से जानने का प्रयास किया गया। प्राप्त सूचनाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अधिकांश प्रभावित परिवार इस परियोजना के पक्ष में है। क्योंकि वे इसको विकास का माध्यम समझते हैं।

अतः हरिद्वार—लक्सर रेलवे लाइन दोहरीकरण परियोजना के अन्तर्गत इक्कड़ रेलवे स्टेशन का विस्तारीकरण करने से जहाँ एक ओर अनेक प्रकार की सुविधाओं का विकास होगा, वहीं उत्तराखण्ड राज्य के आमजन का जीवन स्तर सुधरेगा एवं विकास के नये आयाम भी स्थापित होंगे।

अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है का अर्जन किया जाता है।

ग्राम का नाम	क्र0 सं0	सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि की प्रकृति	अर्जन का क्षेत्र0 (हे0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएँ				वृक्ष		कोई संरचना नहीं है
							उ0	द0	पू0	प0	किस्म	संख्या	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
बहादरपुर जट	1.	4/1	निजी	कृषि	0.0847	संजय कुमार, आलोक कुमार पुत्रगण हरपाल सिंह केलो देवी पत्नी हरपाल सिंह	कृषि भूमि	कृषि भूमि	रेलवे स्टेशन	कृषि भूमि	प्रकाष्ठ	3	—
					0.0007	नवाब अली, रूसतम अली, हुस्न अली पुत्र नौशा							
	2.	52	निजी	कृषि	0.0174	राजेश्वर दयाल, सुरेश दत्त पुत्रगण विशम्बर, नवीन कुमार पुत्र रमेशदत्त	कृषि भूमि	कृषि भूमि	कृषि भूमि	रजवाह	प्रकाष्ठ	3	—
	3.	53	निजी	कृषि	0.0946	विनीत कुमार व प्रदीप कुमार पुत्र जयपाल	कृषि भूमि	कृषि भूमि	रेलवे लाइन	कृषि भूमि	प्रकाष्ठ	5	—
					0.0741	मुकेश कुमार, जुगेश कुमार पुत्र मोहन श्यामलाल पुत्र बनारसी							
	4.	54	निजी	कृषि	0.0264	मांगेराम, कुलवीर सिंह पुत्र जसवन्त	कृषि भूमि	कृषि भूमि	रेलवे लाइन	कृषि भूमि रजवा	प्रकाष्ठ	10	—
	5.	55	निजी	कृषि	0.0118	राज कुमार पुत्र राम सिंह	कृषि भूमि	कृषि भूमि	रेलवे लाइन	कृषि भूमि	—	—	—
	6.	3	निजी	कृषि	0.0004	सावित्री देवी पुत्री बसन्त सिंह	गूल	कृषि भूमि	गूल	कृषि भूमि	—	—	—
	7.	1/1	निजी	कृषि	0.0602	रमेशो पत्नी स्व0 ब्रहमपाल सिंह	कृषि भूमि	गूल	रेलवे लाइन	कृषि भूमि	प्रकाष्ठ	3	—
					0.0639	सुभाष चन्द्र पुत्र कलीराम							
	योग				0.4342							24	—

ग्राम का नाम	क्र0 सं0	सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि की प्रकृति	अर्जन का क्षेत्र0 (हे0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएँ				वृक्ष		कोई संरचना नहीं है
							उ0	द0	पू0	प0	किस्म	संख्या	
सराय	1	162	निजी	कृषि	0.0916	बवीता पत्नी सुभाषचन्द	कृषि भूमि	कृषि भूमि	रेलवे स्टेशन	कृषि भूमि	—	—	—
	2.	163	निजी	कृषि	0.0664	नरेन्द्र कुमार पुत्र हुकम सिंह	कृषि भूमि	कृषि भूमि	रेलवे स्टेशन	कृषि भूमि			
					0.0879	सोनम पत्नी स्व0 अजय कुमार							
	3.	170	निजी	कृषि	0.0436	ब्रहमपाल सिंह पुत्र बाबूराम	बाग	कृषि भूमि	रेलवे स्टेशन	कृषि भूमि	फलदार	3	—
					0.0440	कुवंरपाल सिंह पुत्र मूला सिंह							
	4.	171	निजी	कृषि	0.0955	मौ0 युसुफ, इकबाल पुत्र बारू	कृषि भूमि	कृषि भूमि	रेलवे स्टेशन	बाग	फलदार	26	—
											प्रकाष्ठ	1	—
	योग				0.4290							30	—
	दोनों ग्रामों का कुल अर्जित क्षे0 का योग				0.8632							54	

यदि अधिसूचना इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा–11(1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से सम्बन्धित रेखांकन कलेक्टर/विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, हरिद्वार के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा साकता है।

सरकार उक्त अधिनियम की धारा–12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी/उप जिलाधिकारी, हरिद्वार के निर्देशन में सक्षम व्यक्ति को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा–15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर/विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, हरिद्वार के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किये जा सकेंगे।

ह0 (अस्पष्ट)
विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी,
हरिद्वार।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 31 हिन्दी गजट/433–भाग 1–क–2018 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 04 अगस्त, 2018 ई0 (श्रावण 13, 1940 शक सम्वत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया

कार्यालय पंचास्थानि चुनावालय, नैनीताल (स्थित विकास भवन, भीमताल)

सूचना

सदस्य ग्राम पंचायत के रिक्त पदों/स्थानों पर उप–निर्वाचन

31 मई, 2018 ई0

पत्रांक 68/पंचायत–उप निर्वाचन–2018 (माह मई–जून)/2018–राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून के अधिसूचना संख्या 244/रा0नि0आ0 अनु0–2/2430/2018, दिनांक 30.05.2018 के क्रम में जनपद नैनीताल के त्रिस्तरीय पंचायतों के विभिन्न कारणों से रिक्त सदस्य, ग्राम पंचायतों के पदों पर, जो किसी न्यायालय के स्थगन आदेश से बाधित न हों पर उप निर्वाचन शीघ्र कराया जाना आवश्यक है।

2. राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून के उक्त अधिसूचना के अनुक्रम में, मैं, विनोद कुमार सुमन, जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), जनपद–नैनीताल, एतद्द्वारा यह निर्देश देता हूँ कि जनपद नैनीताल के सदस्य ग्राम पंचायत के इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि तक विभिन्न प्रकार से रिक्त पदों/स्थानों (संलग्न अनुसूची–1 के अनुसार) पर उप निर्वाचन निम्नांकित विनिर्दिष्ट समय–सारिणी के अनुसार सम्पन्न कराये जायेंगे:–

नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने का दिनांक व समय	नाम निर्देशन पत्रों की जाँच का दिनांक व समय	नाम वापसी हेतु दिनांक व समय	निर्वाचन प्रतीक आवंटन का दिनांक व समय	मतदान का दिनांक व समय	मतगणना का दिनांक व समय
05.06.2018 एवं 06.06.2018 (पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक)	07.06.2018 (पूर्वाह्न 10:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	08.06.2018 (पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक)	09.06.2018 (पूर्वाह्न 10:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	19.06.2018 (पूर्वाह्न 08:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक)	21.06.2018 (पूर्वाह्न 08:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

3. सम्बन्धित निर्वाचन अधिकारी (पं0)/रिटर्निंग अधिकारी, अपने विकास खण्ड से संबंधित ग्राम पंचायतों के रिक्त स्थानों/पदों पर उप निर्वाचन हेतु रिक्त पदों/प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्व विवरण देते हुए, अपने स्तर से सूचना दिनांक 02.06.2018 को जारी करेंगे और उसकी प्रति अधोहस्ताक्षरी को तत्काल प्रेषित करेंगे। सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा इस निर्वाचन कार्यक्रम का स्थानीय समाचार–पत्रों में व्यापक प्रचार–प्रसार निःशुल्क कराया जायेगा तथा संबंधित गाँवों में मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को इसकी सूचना दी जाएगी। सार्वजनिक जानकारी हेतु ग्राम पंचायत क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तहसील कार्यालय और जिलाधिकारी कार्यालय के सूचना पटों पर यह कार्यक्रम प्रकाशित किए जायेंगे।

4. उक्त उप निर्वाचन (उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947) (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त एवं यथासंशोधित), उत्तर प्रदेश पंचायत राज {(सदस्यों, प्रधानों और उप–प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली, 1994} एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त एवं यथासंशोधित) तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (सदस्यों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त एवं यथासंशोधित) तथा तद्धीन प्रख्यापित निर्वाचक नामावलियों के अनुसार इन निर्वाचनों में वही निर्वाचन–प्रक्रिया अपनाई जायेगी, जो आयोग द्वारा निर्धारित एवं निर्देशित है। इन पदों/स्थानों के विषय में नामांकन–पत्र दाखिल करने, उनकी जाँच, नाम वापसी तथा निर्वाचन प्रतीक आवंटित करने का कार्य, मतों की गणना एवं परिणाम की घोषणा क्षेत्र पंचायत के मुख्यालय पर की जायेगी।

अनुसूची–1

प्रधान एवं सदस्य ग्राम पंचायत के रिक्त पदों/स्थानों का विवरण

विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	रिक्त पद/स्थान		पद/स्थान के आरक्षण की स्थिति
		पदनाम	प्रा0नि0क्षे0/वार्ड का क्रमांक	
1	2	3	4	5
1. कोटाबाग	1. बोहराकोट	सदस्य, ग्राम पंचायत	05	अनुसूचित जाति, महिला
2. भीमताल	1. हैडाखान	सदस्य, ग्राम पंचायत	07	अनुसूचित जाति
	2. स्यूडा		01	अनुसूचित जाति, महिला
3. रामनगर	1. गोपालनगर	सदस्य ग्राम पंचायत	05	पिछड़ी जाति, महिला
	2. चुकम		07	अनुसूचित जाति, महिला
	3. जोगीपुरा		01	अनुसूचित जाति, महिला
	4. जोगीपुरा		09	महिला
	5. पीरूमदारा		04	पिछड़ी जाति, महिला
	6. पीरूमदारा		06	अनुसूचित जाति, महिला
	7. भवानीपुर		02	अनुसूचित जाति, महिला
	8. मंगलार		07	महिला
	9. सावल्दे		06	अनुसूचित जाति, महिला
	10. सावल्दे पश्चिम		09	पिछड़ी जाति, महिला
	11. सावल्दे पश्चिम		10	पिछड़ी जाति, महिला
4. हल्द्वानी	1. बसन्तपुर	सदस्य, ग्राम पंचायत	09	अनुसूचित जाति, महिला
	2. जयपुर बीसा		05	अनुसूचित जाति, महिला
	3. हल्दूचौड दीना		10	अनारक्षित

1	2	3	4	5
हल्द्वानी	4. हाथीखाल		06	महिला
	5. पदमपुर देवलिया		04	अनारक्षित
	6. जगतपुर		02	अनारक्षित
5. रामगढ़	1. चाफी	सदस्य, ग्राम पंचायत	01	अनुसूचित जाति, महिला
	2. नैकाना		03	अनुसूचित जाति, महिला
	3. पगराडी		04	अनुसूचित जाति, महिला
	4. छतोला		07	अनुसूचित जाति, महिला
	5. गंगरकोट		03	अनुसूचित जाति, महिला
	6. गंगोरी		02	अनुसूचित जाति, महिला
	7. गंगोरी		03	अनुसूचित जाति
6. बेतालघाट	1. सेठीबेलगाँव	सदस्य, ग्राम पंचायत	01	अनुसूचित जाति, महिला
	2. थापला रिंची		05	अनुसूचित जाति, महिला
	3. हल्सों		04	अनुसूचित जाति, महिला
	4. सोनाली		03	अनुसूचित जाति
	5. सोनाली		05	अनुसूचित जाति, महिला
	6. चौर्सा		05	अनुसूचित जाति

विनोद कुमार सुमन,
जिला मजिस्ट्रेट/
जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0),
नैनीताल।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 31 हिन्दी गजट/433—भाग 3—2018 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक—अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 04 अगस्त, 2018 ई0 (श्रावण 13, 1940 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

सूचना

मेरा छोटा भाई विपिन कुमार तथा उसकी पत्नी किरण हमारे कहने–सुनने में न होने से, मैं व मेरी पत्नी ममता ने उनसे पूर्ण सम्बन्ध विच्छेद कर लिये है। वे अपने अच्छे–बुरे कार्य के स्वयं जिम्मेदार होंगे।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है।

अरूण कुमार पुत्र स्व0 पल्टूराम
निवासी राजकीय प्रेस कालोनी, रूडकी
जिला हरिद्वार

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 31 हिन्दी गजट/433–भाग 8–2018 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।